| | |
|---|---|
| ज | नम्बर अहकाम हुक्म व में ज |
| ...म मानी ...के प्रकरण ...आज के ...द भी ...प्रार्थीगण ...र्यवाही का ...प्रकरण में ...मौका ...नाप्ता है। ...बहस सुनी ...स्वीकार ...निर्णय ...शामिल ...सल सुमार ...की जावे। | |
| अधिकारी ...देन कलक्टर करेड़ा | |

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला–भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :–महीपाल सिंह, आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या :– /20/75/2020-प्रा० पत्र

श्री लादू S/o मांगू बलाई नि० डेलास - करेडा

––प्रार्थी।

वनाम

1–श्री मेवा S/o मोहन कुमार नि० डेलास- करेडा ––विपक्षीगण।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956</u>

:: <u>निर्णय</u> ::दिनांकः -24/8/2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0 भू0 राज0 अधि01956 के त प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम डेलास पटवार हल्का राजपुरिया भू0अ0नि0 क्षेत्र ... उनके खाता संख्या 192 की आ0नं0 72/0.02, 73/12.19, 74/0.18, 839/148/0.05, कुल किता-4 रकबा 4.04 बिघा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य ...राजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। ...समें प्रार्थीगण अपने खाते/संयुक्त खातें की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 12/6/20 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से ...थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की ...–फैरी होने का अदेंशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों ...देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: <u>आदेश</u>::

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया ...कर ग्राम डेलास पटवार हल्का राजपुरिया भू0अ0नि0 क्षेत्र ... में उनके खाता ...ख्या 192 की आ0नं0 72/0.02, 73/12.19, 74/0.18, 839/148/0.05 कुल किता 4 रकबा 4.04 बिघा ... भूमि स्थित है। भूमि के चारों तरफ सीमा की ...ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू.अ.नि0 ... को 650/- रुपये ...मेश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। ...मेश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये ...तकिल बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

...संग्न :–प्रार्थना पत्र प्रति।

उपखंड अधिकारी
सहायक कलक्टर करेड़ा जिला भीलवाड़ा

...तिलिपि :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

...अधिकारी ...